झारखंड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, रांची – 834001

विज्ञापन

- ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि–09.01.2016

विज्ञापन संख्या–03/2015

झारखण्ड कृषि सेवा वर्ग–2 (मूल कोटि) के सहायक कृषि निदेशक/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के पद पर सीधी नियुक्ति परीक्षा

झारखण्ड राज्य के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–3091 दिनांक 03.11.2014 सहपठित पत्रांक–2899 दिनांक 31.07.2015 के द्वारा **झारखण्ड कृषि सेवा वर्ग–2 (मूल कोटि)** के पद पर नियुक्ति हेतु प्रेषित अधियाचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित–प्रपत्र में Online आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. (i) **पद का नाम :– झारखण्ड कृषि सेवा वर्ग–2 (मूल कोटि) {सहायक कृषि निदेशक/ अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष}**

   (ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :–

Sl.No	Name of Post	No. of Vacancies Category Wise				
		UNR	SC	ST	BC-I	BC-II
1	Category 1 (Agronomy)	08	00	01	04	00
2	Category 2 (Agri.Engg.)	18	04	09	03	02
3	Category 3 (Agri.Chemistry)	12	02	07	02	01
4	Category 5 (Plant Protection)	12	01	06	02	01
5	Category 7 (Horticulture)	12	02	05	02	01
6	Category 8 (Weights Measurement & Marketing)	02	01	00	00	00
7	Category 9 (Statistics)	10	01	06	02	01

नोटः– (i) उपर्युक्त पदों के तहत **Category 2 (Agri.Engg.)** में **Handicapped** (निशक्तः) अभ्यर्थी के लिए 01 (एक) पद आरक्षित है।

(ii) उपर्युक्त पदों के तहत महिला के लिए क्रमशः **Category 2 (Agri.Engg.)–01, Category 3 (Agri.Engg.) –01, Category 5 (Agri.Engg.) –01, Category 7 (Agri.Engg.) –01, Category 9 (Agri.Engg.) –01** में पद आरक्षित है।

(iii) कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार की अधियाचना के अनुसार कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

2. **वेतनमान** – PB-II 9,300 – 34,800 (Grade Pay – 5400)

3. **पद** – स्थायी

4. **परीक्ष्यमान अवधि** – 2 (दो) वर्ष

5. **अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हत्ताः–विभिन्न कोटिवार पदों की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् है :–**

कोटि–1 (शष्य)	कोटि–2 (कृषि अभियंत्रण)	कोटि–3 (कृषि रसायन)	कोटि–5 (पौधा संरक्षण)	कोटि–7 (उद्यान)	कोटि–8 (माप (तौल विपणन)	कोटि–9 (सांख्यिकी)
1	2	3	4	5	6	7
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अभियंत्रण में स्नातक	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उद्यान/वानिकी/कृषि विज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान (भौतिकी में प्रतिष्ठा) अथवा कृषि विज्ञान/अभियंत्रण में से किसी एक विषय में स्नातक	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/गणित/अर्थशास्त्र में से किसी एक विषय में स्नातक

In English

Category 1 (Agronomy)	Category 2 (Agri. Engineering)	Category 3 (Agri. Chemistry)	Category 5 (Plant Protection)	Category 7 (Horticulture)	Category 8 (Weights Measurement & Marketing)	Category 9 (Statistics)
1	2	3	4	5	6	7
Graduate in Agriculture Science from Recognized University	Graduate in Agriculture Engineering from Recognized University	Graduate in Agriculture Science from Recognized University	Graduate in Agriucultur e science from Recognized University	Graduate in any one stream Horticulture/Forestry/Agriculture Science from Recognized University	Physics (Hon's) or Graduate in any one stream Agriculture Science/ Engineering from Recognized University	Graduate in any one stream Statistics/Mathamatic/Economics from Recognized University

6. **उम्र सीमा की संदर्भ तिथि :– 01.08.2014**

(क) न्यूनतम उम्र सीमा – 21 वर्ष अर्थात जन्म तिथि 01.08.1993 के बाद का न हो।

(ख) अधिकतम उम्र सीमा – कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक–2096, दिनांक–25.04.2011 के अनुसार :–

क्र0 सं0	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा	जन्म तिथि को अथवा के बीच	शारीरिक रूप से अक्षम/ सरकारी सेवक के लिए
1.	अनारक्षित	35 वर्ष	01.08.1979 से 01.08.1993	40 वर्ष (01.08.1974 से 01.08.1993)
2.	पिछड़ा वर्ग–I/पिछड़ा वर्ग–II	37 वर्ष	01.08.1977 से 01.08.1993	42 वर्ष (01.08.1972 से 01.08.1993)
3.	महिला (अनारक्षित)/पिछड़ा वर्ग–I/पिछड़ा वर्ग–II)	38 वर्ष	01.08.1976 से 01.08.1993	43 वर्ष (01.08.1971 से 01.08.1993)

4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	40 वर्ष	01.08.1974 से 01.08.1993	45 वर्ष (01.08.1969 से 01.08.1993)

(ग) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक – 360, दिनांक–21.01.2003 के अनुसारः–राज्य सरकार के वैसे सरकारी कर्मी जिन्होंने लगातार तीन वर्षों की सरकारी सेवा पूरी कर ली हो, उन्हें निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष का छूट देय है।

7. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रियाः–

(क) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित की जायेगी।

(ख) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांक को जोड़कर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक–13026 दिनांक–27.11.2012 के आलोक में मेधा सूची तैयार की जायेगी तथा संसूचित कोटिवार रिक्तियों के अनुरूप प्रशासी विभाग को नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के नाम अनुशंसित किये जायेंगे।

8. (क) लिखित परीक्षाः–लिखित परीक्षा के दो पत्र होंगे जिसमें प्रथम पत्र 300 अंको का 10+2 स्तर का सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ एवं द्वितीय पत्र 300 अंको का विषयनिष्ठ प्रकार का होगा, जो प्रत्येक समूह के अभ्यर्थियों के लिए उनका कोई एक विषय से संबंधित होगा जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	विषय	पूर्णांक	समय	अभ्युक्ति
1	**प्रथम पत्र** –सामान्य ज्ञानः	300	3 घंटा	सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होंगे।
2	**द्वितीय पत्र** **समूह ''क''**:– (i) कोटि–I शष्य (ii) कोटि–3 कृषि रसायन (iii) कोटि–5 पौधा संरक्षण **समूह ''ख''**:– (i) कोटि–2 कृषि अभियंत्रण **समूह ''ग''** :– (i) कोटि–7 उद्यान **समूह ''घ''** :– (i)कोटि–8 माप तौल एवं विपणन **समूह ''ड.''** :– (i) कोटि–9 साख्यिकी	300	3 घंटा	प्रत्येक समूह के अभ्यर्थियों के लिए उनका कोई एक विषय

(ख) साक्षात्कार/मौखिक परीक्षाः–साक्षात्कार के लिए कुल **100 अंक** निर्धारित है। कोटिवार कुल संसूचित रिक्तियों का **3 (तीन) गुणा** ऐसे सफल उम्मीदवार जिन्होंने लिखित परीक्षा में निर्धारित किये जाने वाले विभिन्न कोटि के लिए न्यूनतम अहर्तांक प्राप्त किया है, को मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार) के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

(ग) न्यूनतम अहतांक :–

लिखित एवं मौखिक परीक्षा में सफलता के लिए दोनों परीक्षाओं में निम्नलिखित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के संकल्प ज्ञापांक–13026 दिनांक–27.11.2012 द्वारा निर्धारित है :–

अनारक्षित	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग–II	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग–I	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत

(घ) प्रकाशित विज्ञाप्ति के फलस्वरूप याचित अधियाचना के 05(पाँच) गुणा अथवा इससे कम आवेदन प्राप्त होते हैं, तो आयोग ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के रूल्स ऑफ प्रोसिज्योर, 2002 के अध्याय –4 के अनुरूप केवल मौखिक परीक्षा आयोजित की जायेगी।

9. (i) निःशक्त/दृष्टिहीन उम्मीदवारों के लिए परीक्षा अवधि में प्रत्येक 1 घंटे पर 20 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा।

(ii) वैसे निःशक्त अभ्यर्थी जिन्हे श्रुतलेखक/स्क्राइब सुविधा की आवश्यकता है उन्हें परीक्षा तिथि के तीन दिन पूर्व परीक्षा के केन्दधीक्षक को अपना आवेदन पत्र, निःशक्ता प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति के साथ उपलब्ध करायेगें।

(iii) निःशक्त अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक/स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। वैसे निःशक्त अभ्यर्थी जो अपने साथ श्रुतलेखक/स्क्राइब नहीं लायेंगे, उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी और इसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगें।

(iv) श्रुतलेखक/स्क्राइब 12 वीं कक्षा अथवा इण्टरमीडिएट (50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त न हो) से अधिक शिक्षित नहीं हो तथा वह अभ्यर्थी का निकट संबंधी नहीं हो।

10. पाठ्यक्रम – झारखण्ड कृषि सेवा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट–**www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

11. अवसरों की संख्या–(1) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–2959 दिनांक–03.04.2013 द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के अवसरों को निम्न रूप से रखा गया है :–

(क) अनारक्षित वर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के लिए – चार अवसर

(ख) पिछड़ा वर्ग–I/पिछड़ा वर्ग–II के पुरूष उम्मीदवारों के लिए – पाँच अवसर

(ग) महिला (अनारक्षित,पिछड़ा वर्ग–I/पिछड़ा वर्ग–II के उम्मीदवारों के लिए) – छः अवसर

(घ) अनुसूचित जाति एवं अनुसचित जनजाति के पुरूष – अवसरों की कोई सीमा नहीं

एवं महिला उम्मीदवारों के लिए

12. आरक्षण :–

(क) **ऑनलाईन (Online)** आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में शामिल किया जायेगा।

(ख) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को झारखण्ड राज्य के सक्षम स्तर के पदाधिकारो अर्थात **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। **झारखण्ड राज्य के बाहर के जाति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के लाभ हेतु किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा।**

(ग) झारखण्ड राज्य के उम्मीदवार, जो **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग –I (BC-I)/पिछड़ा वर्ग–II (BC-II)** के हैं, को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत **उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी स्तर** से क्रमशः कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक–5682, दिनांक–22.10.2008 एवं ज्ञापांक– 10007, दिनांक– 29.08.2012 द्वारा निर्गत निर्धारित विहित प्रपत्र–I अथवा प्रपत्र–II का विवरण **ऑनलाईन** आवेदन पत्र में प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि के माने जायेंगे। निर्धारित प्रपत्र आयोग के बेवसाईट –**www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(घ) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आरक्षण हेतु संलग्न विहित प्रपत्र I एवं प्रपत्र–II में निर्गत जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अन्तर्वीक्षा के समय सत्यापन प्रक्रिया के दौरान मूल रूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

(ङ.) **विकलांग कोटे** के आरक्षण के दावे की स्थिति में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प –7281 दिनांक–07.11.2007 के आलोक में केवल ऐसे उम्मीदवार सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हों तथा आरक्षण का लाभ उठाने हेतु संकल्प की अनुबंध–1 में दिए गए प्रारूप में सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (विहित प्रारूप आयोग के वेबसाईट–**www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है)।

(च) साक्षात्कार के समय ऑनलाईन आवेदन में दिये गये प्रविष्टि (Entry) के अनुरूप सभी प्रमाण पत्रों की संबंधित मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

13. **(i)** **कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम :–**

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise temper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation

regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

(a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or

(b) Impersonating, or

(c) Procuring impersonation by any person, or

(d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or

(f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or

(g) Using unfair means during the test, or

(h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or

(i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or

(k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.

(l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:

(i) to be disqualified from selection for which he/she is a candidate, and/or

(ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-

(iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate

(ii) <u>कदाचार के लिए कार्यवाही</u> :–

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोशो पाये गऐ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) **पूर्व के कदाचार का प्रभावः–**

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

14. परीक्षा शुल्क :–

(i) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिसस संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(ii) सामान्य, पिछड़ा वर्ग–I एवं पिछड़ा वर्ग–II श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रू0–**400 (चार सौ) + बैंक चार्ज** मात्र है।

(iii) **परीक्षा शुल्क में छूट**– झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0–**100/– (एक सौ) + बैंक चार्ज** मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकते है। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

(iv) विकलांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।

(v) परीक्षा शुल्क के अलावा अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में अतिरिक्त राशि का भी भुगतान करना होगा जिसकी विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है। जिसे आवेदन जमा करने के पूर्व अवश्य देख कर ही आवेदन करें।

15. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :–

(क) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व आवेदन कैसे करें, "How to apply" अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No. – 0651/2213009 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सबह–10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

(ख) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर Online Application System के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा।

(ग) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं बांए अंगूठे का निशान स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं बांए अंगूठे का निशान नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

(घ) **Online** आवेदन भरते समय आवेदक हेतु शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी :–

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक (कंडिका–5 के अनुसार) प्रमाण पत्र (ii) स्नातक अंक पत्र (iii) उम्र संबंधी प्रवेषिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष (iv) मैट्रीक अंक प्रमाण पत्र (v) इण्टरमीडियट प्रमाण पत्र (vi) इण्टरमीडियट अंक प्रमाण पत्र (vii) मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकंलागता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो) (viii) जाति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो) (ix) अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो) आदि ऑनलाईन आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे तथा साक्षात्कार के समय जाँच के क्रम में उपरोक्त प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं ऑनलाईन आवेदन में दी गयी सूचना तथा साक्षात्कार के समय दी गयी सूचना में भिन्नता होने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(ड.) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी/नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र जाँच के क्रम में प्रस्तुत करेंगे अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

(च) ऑनलाईन आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(छ) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(ज) आवेदन पत्र हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों **(BLOCK LETTERS)** में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए। आवेदन पत्र भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंको का ही प्रयोग करें।

(झ) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्त्तनी **(Spelling)** वहीं लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट एवं अंक पत्र में अंकित है।

(ञ) जन्म तिथि–आवेदक मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, अंकित जन्म तिथि यथा तिथि, महीना और वर्ष आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर प्रविष्टि करें।

(ट) ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के निम्नलिखित Technical Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है :–

1. 07042294208

16. **अंतिम तिथि** :– आवेदक **Online Application System** के माध्यम से **दिनांक– 10.12.2015. से 09.01.2016 रात 12:00** तक अपना आवेदन दे सकेंगे।

ह0 / –
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग,राँची।